NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या 24 / III–(2)/18–44 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 10/01/2018 द्वारा 5.00 किमी0 रू0 23.00 लाख स्वीकृत हुआ है।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग चण्डाक धारी मोटर मार्ग के किमी0 2.000 से प्रारम्भ होता है तथा ग्राम धारी को जोड़ते हुए चण्डाक चमाली मोटर मार्ग के किमी0 8.00 में मिल जाता है। जिसकी आबादी 341 है, जो अभी तक किसी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गॉव की महिलाऐं पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती है, मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा। साथ ही वे अपने घर और पाल्यों को अधिक समय दे पायेगें तिससे कि पाल्यों का लालन पालन तथा पठन–पाठन ठीक से होगा। तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर होगी। गांव में चिकित्सालय एवं विद्यालय खुलने के और नये अवसर मिलेंगे। ग्रामवासियों द्वारा अपने उत्पादित फल, सब्जी ,अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जाना सम्भव हो पायेंगे साथ ही ग्राम विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। एवं मार्ग के निर्माण से ग्राम बास्ते, पाभै, किनीगांड, एवं चमाली आदि ग्रामवासियों को भी इस मार्ग का उपयोग करने से जनपद मुख्यालय तक आने–जाने में 7 से 8 किमी0 की दूरी कम तय करने पड़ेगी।

यह समरेखण सिविल भूमि (राज्य भूमि) आरक्षित भूमि, वन पंचायत तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है। समरेखण के अन्दर कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रों में काश्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त भूमि श्रेणी में ले ली गई है। इस प्रकार इस मार्ग के समरेखण में 4.200 लम्बाई में 0.29 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.991 है0 वन पंचायत, 0.63 है0 सिविल सोयम एवं 1.869 है0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें कुल 1.911 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाना है, जो न्यूनतम है एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

(Er. D.C. Joshi) 14/9
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

K.C. Joshi 14/9
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ